प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यू.टोंक(राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर, वर्ष 2022
प्र.ई.रि.सं. 45/22 दिनांक 15/02/22,

2.–(1) अधिनियम भ्र0नि0(संशोधन) अधि0 2018 धारायें .... 7...........
(2) अधिनियम............................... धारायें ....
(3) अधिनियम......................... धारायें......................................
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 307 समय 2 PM
(ब) अपराध के घटने का दिन :– सोमवार, दिनांक 14.02.2022, समय 7.05 पी0एम0
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – 14.02.2022, समय 9.00 ए0एम0

4.–सूचना की किस्म :–लिखित / मौखिक लिखित

5–घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बजानिब पश्चिम 80 किलोमीटर चौकी हाजा ए.सी.बी.,टोंक से
(ब) पता – रूपाहेली तह0 मालपुरा जिला टोंक ......बीट संख्या .....जरायमदेही सं........
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना ....जिला...............

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ).–नाम :– **श्री गजानन्द गुर्जर पुत्र श्री कानाराम जाति गुंर्जर उम्र 46 साल निवासी रूपाहेली तहसील मालपुरा जिला टोंक**
(ब).–राष्ट्रीयता :– भारतीय
(स).–पासपोर्ट संख्या.........................जारी होने की तिथि....................जारी होने की जगह.
(द).–व्यवसाय :– किसान ।

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. **श्री राजेश गोठवाल पुत्र श्री कल्याणमल जाति बैरवा उम्र 44 साल निवासी टोरड़ी तहसील मालपुरा जिला टोंक हाल पटवारी, पटवार हल्का सिन्धौलिया तहसील मालपुरा जिला टोंक**

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– ....

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):– ट्रेप राशि रूपयें 30,000/– रूपये

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य 30,000/–रूपयें ट्रेप राशि

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो)..

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक

विषय :– रिश्वत लेते पकडवाने बाबत्।

महोदय,

निवेदन है कि मैं गजानन्द गुर्जर पुत्र श्री कानाराम जाति गुंर्जर उम्र 46 साल निवासी रूपाहेली तहसील मालपुरा जिला टोक का रहने वाला हुॅ। आज से करीब डेढ माह पूर्व मैंने व मेरे पार्टनर श्री गोवर्धन सिंह, श्री अब्दुल हमीद ने मिलकर ग्राम रूपाहेली में खसरा नम्बर 194/9 व खसरा 194/13 कुल रकबा 5 बीघा 13 बीस्वा खरीद की थी। जिसका नामान्तरण खुल चुका है।

जिसका बंटवारा भी प्रशासन गॉव के संग अभियान में हो चुका है और उक्त जमीन की तरमीम करवाने के लिए दिनांक 17.01.22 को तहसीलदार साहब मालपुरा से आदेश करवाकर पटवारी श्री राजेश गोठवाल (बैरवा) पटवार हल्का सिन्धोलिया तहसील मालपुरा जिला टोक को दे दिया है, लेकिन वो अभी तक भी तरमीम नहीं कर रहा है, तरमीम करने की एवज में खर्चे–पाणी के नाम से 1 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मैं मेरे जायज काम के बदले पटवारी जी को रिश्वत नही देना चाहता हुँ तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुँ। मेरी राजेश गोठवाल (बैरवा) पटवारी जी से किसी प्रकार की कोई रंजीश व पैसों का लेन देन नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

प्रार्थी

गजानन्द गुर्जर पुत्र श्री कानाराम जाति
गुंर्जर उम्र 46 साल निवासी रूपाहेली
तहसील मालपुरा जिला टोक मो. न.
6375527486

कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक
दिनांक 14.02.2022 समय 9.00 ए0एम0

इस समय परिवादी गजानन्द गुर्जर पुत्र श्री कानाराम जाति गुंर्जर उम्र 46 साल निवासी रूपाहेली तहसील मालपुरा जिला टोंक ने एसीबी चौकी टोंक पर उपस्थित होकर मन् आहद खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि **"आज से करीब डेढ माह पूर्व मैंने व मेरे पार्टनर श्री गोवर्धन सिंह, श्री अब्दुल हमीद ने मिलकर ग्राम रूपाहेली में खसरा नम्बर 194/9 व खसरा 194/13 कुल रकबा 5 बीघा 13 बीस्वा खरीद की थी। जिसका नामान्तरण खुल चुका है। जिसका बंटवारा भी प्रशासन गॉव के संग अभियान में हो चुका है और उक्त जमीन की तरमीम करवाने के लिए दिनांक 17.01.22 को तहसीलदार साहब मालपुरा से आदेश करवाकर पटवारी श्री राजेश गोठवाल (बैरवा) पटवार हल्का सिन्धोलिया तहसील मालपुरा जिला टोक को दे दिया है, लेकिन वो अभी तक भी तरमीम नहीं कर रहा है, तरमीम करने की एवज में खर्चे–पाणी के नाम से 1 लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मैं मेरे जायज काम के बदले पटवारी जी को रिश्वत नही देना चाहता हुँ तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुँ। मेरी राजेश गोठवाल (बैरवा) पटवारी जी से किसी प्रकार की कोई रंजीश व पैसों का लेन देन नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।"** प्रार्थना पत्र परिवादी गजानन्द गुर्जर को पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए प्रार्थना पत्र ई–मित्र से लिखवाना तथा स्वंय द्वारा हस्ताक्षरित होना बताया। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि "मैनें व मेरे पार्टनर श्री गोवर्धन सिंह, श्री अब्दुल हमीद ने मिलकर ग्राम रूपाहेली में खसरा नम्बर 194/9 व खसरा 194/13 कुल रकबा 5 बीघा 13 बीस्वा को श्री महावीर व हनुमान पुत्रान श्री सुखदेव दरोगा निवासी रूपाहेली से खरीदकर दिनांक 15.12.2021 को उक्त विक्रय पत्र को उपपंजीयक मालपुरा से पंजीयन करवा लिया है। पंजीयन होने के पश्चात् नियमानुसार उक्त जमीन का नामान्तकरण हम तीनों के नाम से खुल चुका है, एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत हम तीनों पार्टनरों के बीच हमारी उक्त जमीन का बंटवारा भी हो चुका है। बंटवारे के हिसाब से उक्त जमीन की तरमीम करवायी जानी है, जिसके लिए दिनांक 17.01.2022 को हमने तहसीलदार साहब मालपुरा के समक्ष तरमीम के आदेश करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार साहब मालपुरा ने सम्बन्धित पटवारी श्री राजेश गोठवाल को तरमीम करने के आदेश कर दिये है, लेकिन काफी समय हो जाने के बाद भी पटवारी तरमीम करने नहीं आया, जिस पर मैं श्री राजेश गोठवाल पटवारी से मिला तो उसने बंटवारे को सही मानकर तरमीम करने की एवज में 1 लाख रूपये की मांग कर रहा है। मैं ऐसे भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हुं। मेरा इनसे कोई उधार का लेन–देन बकाया नहीं है एवं ना ही कोई आपसी रंजिश है। मैं

ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुं। परिवादी ने तरमीम करवाये जाने से सम्बन्धित जमीन की रजिस्ट्री एवं स्वयं के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति पेश की जो बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किये गये। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने से समय 9.40 ए0एम0 पर कार्यालय आलमारी में से सरकारी डिजीटल वायस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें एक खाली मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन व रखरखाव की विधि की समझाईश की जाकर उचित हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि मैं आज ही श्री राजेश गोठवाल पटवारी से रिश्वत मांग के सम्बन्ध में वार्ता करूंगा। अतः कार्यालय में उप0 कानि0 जलसिंह 248 को तलब कर परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया। मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करने हेतु कानि0 जलसिंह को डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी व कानि0 जलसिंह को परिवादी की गाड़ी से समय 09.50 ए.एम. पर वास्ते रिश्वत मांग सत्यापन हेतु सिन्धोलिया मालपुरा रवाना किया गया। समय 03.00 पी0एम0 पर कानि0 जलसिंह मय परिवादी गजानन्द के उपस्थित कार्यालय आये, कॉनि ने वॉयस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया। परिवादी गजानन्द ने बताया कि '' **मैं व जलसिंह से एसीबी चौकी से रवाना होकर मालपुरा पहुंचे, जहां पर मैनें राजेश जी गोठवाल पटवारी से सम्पर्क किया तो उसने स्वयं को दुदु रोड़, मालपुरा स्थित उसके किराये के मकान पर होना बताया, जिस पर हम दोनों रवाना होकर उसके मकान के पास पहुंचे, जलसिंह जी ने वॉयस रिकार्डर चालू करके मुझे दे दिया तथा खुद बाहर ही रूक गये, मैनें अन्दर जाकर पटवारी जी से मेरे काम के लिए बात की तो उन्होनें मेरी जमीन की तरमीम करने के बदले 2 पेटी यानि 2 लाख रूपये की मांग की मेरे द्वारा उन्हें काफी निवेदन करने पर 30 हजार रूपये लेने पर राजी हुये, पटवारी जी ने आज ही शाम को मेरी जमीन का नाप–चौप कर तरमीम करने का आश्वासन दिया, और 30 हजार रूपये की मांग की, जिस पर मैनें 30 हजार रूपये देने की हां कर दी तथा मैनें बाहर आकर वॉयस रिकार्डर जलसिंह जी को दे दिया जिन्होनें उसे बन्द करके अपने पास रख लिया। इसके बाद हम दोनों वहां से रवाना होकर एसीबी कार्यालय आये है। उक्त समस्त वार्ता आपके डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड हो गयी है।**'' कानि0 जलसिंह ने भी परिवादी के कथनों की ताईद की। कानि0 द्वारा प्रस्तुत वॉयस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया परिवादी व कानि0 के कथनों की ताईद हुयी। परिवादी ने बताया कि ''राजेश गोठवाल पटवारी आज ही शाम को मेरी जमीन का नाप–चौप करके मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त करेगा।'' ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होने से समय 03.10 पी0एम0 पर आयुक्त नगर परिषद् टोंक के नाम तहरीर मुर्तिब कर गवाह तलब करने हेतु श्री राजकुमार कानि0 160 को रवाना किया गया। समय 3.30 पी0एम0 पर तलबशुदा स्वतंत्र गवाह 1–श्री सुभाष धामुनिया पुत्र श्री लालचन्द धामुनिया उम्र 35 निवासी कालीपलटन विकास नगर टोंक हाल कनिष्ठ लिपिक नगर परिषद् टोंक मो0न0 9252548964 एवं 2– श्री अजय कुमार सैलीवान पुत्र श्री मिठ्ठूलाल उम्र 42 निवासी कालीपलटन विकास नगर टोंक हाल कनिष्ठ लिपिक नगर परिषद् टोंक मो0न0 9414204227 उपस्थित आये। दोनों गवाहान व परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया। दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में संक्षिप्त अवगत करवाकर कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमती चाही तो दोनो गवाह ने कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की अपनी मौखिक सहमती दी। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 14.02.2022 गवाहान को पढाया गया, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाकर गवाहान को मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य–मुख्य अंश सुनाये गये। गवाहान, परिवादीगण व स्टाफ का आपस में परिचय करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित वॉयस रिकार्डर को स्वयं के पास ही सुरक्षित रखा गया। समय 03.50 पी0एम0 पर परिवादी गजानन्द गुर्जर को आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु निर्देशित करने पर परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 60 नोट कुल 30,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। उक्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित करवाये जाकर नोटो के दोनों तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर श्री गजेन्द्र सिंह कानि0 25 से लगवाया जाकर पाउडर लगे नोट 30 हजार रूपये आरोपी को देने के लिए परिवादी के शरीर पर पहने हुये कुर्ते की दाहिनी जेब में कोई शः नही छोडते हुए गजेन्द्र सिंह कानि से रखवाये गये। गवाहान व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोल्फ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रकिया दृष्टान्त देकर

समझाई गई। परिवादी गजानन्द को रिश्वत लेन–देन का ईशारा अपने सिर पर बन्धा हुआ मफलर खोलकर हाथ में लेने की अथवा अपने मोबाईल नम्बर से कानि0 जलसिंह के मोबाईल पर कॉल/मिसकॉल करने की समझाईश की गई एवं उक्त ईशारा ट्रेप पार्टी को भी समझाया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 4.15 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्टाफ सर्वश्री मोहम्मद जुनैद है0का0 32, मनोज कुमार है0का0 119, ईश्वर प्रकाश कानि0 256, राजकुमार कानि0 160, जलसिंह कानि0 248 एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी गजानन्द तैयारशुदा ट्रेप बॉक्स, कार्यालय लेपटॉप, वॉयस रिकार्डर (जिसमें खाली मेमोरी कार्ड) के प्राईवेट वाहन एवं परिवादी के वाहन से मालपुरा रवाना होकर **समय 5.55 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के मालपुरा में अजमेर रोड़ पर पहुंचा तभी आरोपी राजेश** पटवारी का परिवादी के **मोबाईल पर कॉल आया, जिस पर गाड़ियों को साईड में लगाकर परिवादी** के **मोबाईल से आरोपी के मोबाईल पर कॉल करवाया गया तो आरोपी राजेश गोठवाल ने स्वयं को** मालपुरा से **निकलना बताते हुये, परिवादी को फीता लेकर उसकी जमीन (खसरा संख्या 194/9,** 194/13 **जिसकी तरमीम करनी है) पर ही मिलने हेतु निर्देशित किया। परिवादी गजानन्द एवं आरोपी राजेश गोठवाल के मध्य हुयी उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड की** गयी। **जिसकी पृथक से ट्रांसस्क्रिप्ट बनायी गयी। परिवादी ने बताया कि फीता (नापने के लिए) उसकी गाड़ी में ही रखा है। समय 06.15 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के रूपाहेली गांव से थोड़ा पहले रूके, परिवादी व स्टाफ के सभी सदस्यों को गाड़ी से नीचे उतारकर आवश्यक समझाईस कर परिवादी श्री गजानन्द को रिश्वत लेन–देन से सम्बन्धित वार्ता रिकार्ड करने हेतु श्री जलसिंह कानि0 से वॉयस रिकार्डर चालू करवाकर दिया गया एवं स्टाफ के सभी सदस्यों को अपनी–अपनी उपस्थिती छिपाते हुये, रिश्वत राशि प्राप्ति के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम किया गया। परिवादी को आरोपी से मिलकर रिश्वत राशि देने हेतु उसकी गाड़ी से रवाना किया** गया। **समय 06.45 पी0एम0 पर एक वाहन आरजे 26 सीए 6072 मारूति सुजुकी सेलेरियो लेकर एक व्यक्ति परिवादी के पास आया, तथा दोनों ने आपस में चर्चा करने के पश्चात् रोड़ से बांयी तरफ कच्चे रास्ते पर जाने लगे, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी मय हमराहियान के अपनी–**अपनी **उपस्थिती छिपाते हुये पीछे–पीछे रवाना हुआ।** समय 7.05 पीएम पर परिवादी श्री गजानन्द गुर्जर ने अपने मोबाईल नम्बर 6375527486 से मन् अति0 पुलिस के हमराह श्री जलसिंह कानि0 के मोबाईल मोबाईल 9828417051 पर कॉल करके रिश्वत राशि प्राप्ति से सम्बन्धित ईशारा किया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के पास पहुंचे, जहां पर परिवादी के साथ एक व्यक्ति फीता लेकर जमीन का नाप–चौप कर रहा था तो परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया, जिस बन्द कर सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने उसके पास उपस्थित दुसरे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि **"यही राजेश जी पटवारी जी है, जिन्होंने मेरी जमीन की तरमीम करने की एवज में अभी–अभी मेरे से 30 हजार रूपये रिश्वत के प्राप्त किये है।"** जिस पर राजेश पटवारी घबरा गया तथा चिल्लाने लगा, जिसे समझाईस कर हमराह स्टाफ की सहायता से उसके दाहिने हाथ को कानि0 ईश्वर प्रकाश से तथा बांये हाथ को कानि0 राजकुमार से पकड़वाकर उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम **श्री राजेश गोठवाल पुत्र श्री कल्याणमल जाति बैरवा उम्र 44 साल निवासी टोरड़ी तहसील मालपुरा जिला टोंक** हाल **पटवारी, पटवार हल्का सिन्धौलिया तहसील मालपुरा जिला टोंक** होना बताया। आरोपी राजेश गोठवाल, पटवारी को परिवादी से ली गयी रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा तो वह चुप रहा, फिर बोला "मैनें **कोई रिश्वत नहीं ली है, आज दिन में गजानन्द जी मेरे से मिलने आये थे तथा इनकी जमीन** की **तरमीम करने के लिए कह रहे थे, जिस पर मैनें इन्हें नाप–चौप कर आज ही तरमीम करने का आश्वासन दिया था तथा अभी इनकी जमीन का नाप–चौप कर रहा था, इसलिये इन्होनें खुश** होकर **30 हजार रूपये जबरदस्ती मुझे दे दिये जो मेरी पेन्ट की बांयी जेब में रखे है।"** जिस पर परिवादी गजानन्द गुर्जर ने स्वतः ही बताया कि **"राजेश जी पटवारी झुठ बोल रहे है, मैनें व मेरे दो अन्य पार्टनरों ने मिलकर ग्राम रूपाहेली में 5 बीघा 13 बिस्वा जमीन खरीदी है, उक्त जमीन का** नामान्तरण **भी हमारे नाम से खुल चुका है, एवं हम तीनों का बंटवारा भी हो चुका है, परन्तु जमीन की तरमीम नहीं हुयी है। तरमीम के लिए तहसीलदार जी ने आदेश भी कर दिये परन्तु फिर भी यह पटवारी जी तरमीम नहीं**

कर रहे थे, **मैनें इनसे तरमीम के लिए निवेदन किया तो इन्होनें तरमीन करने की एवज में 1 लाख रूपये मांगे तथा आज जब मैं इनसे पुनः मिला और कुछ कर करने का निवेदन किया तो 30 हजार रूपये लेने पर राजी हुये, इनकी मांग के अनुसार ही मैनें अभी इन्हें 30 हजार रूपये दिये है।**" जिस पर आरोपी राजेश पटवारी चुप रहा तथा कुछ समय सोच कर बोला कि "**मैनें पैसे देने के लिए इससे जबरदस्ती नहीं करी थी, इसने मेरी जिन्दगी बर्बाद कर दी, मेरा प्रमोशन होने वाला है, मेरा गिरदावर में नम्बर आ गया है, इसने मुझे मरवा दिया।**" परिवादी ने बताया कि " **मैनें इन्हें जबरदस्ती रिश्वत नहीं दी है, अभी थोड़ी देर पहले ही पटवारी जी आये है, जिन्होनें मेरी जमीन का नाप–चौप किया तथा नाप–चौप के बाद इनकी मांग के अनुसार मैनें इन्हें 30 हजार रूपये दिये, जो इन्होनें लेकर अपनी पेन्ट की बांयी जेब में रख लिये, यदि मैं इन्हें आज भी पैसे नहीं देता तो यह मेरा काम नहीं करते।**" इस पर आरोपी राजेश गोठवाल पटवारी चुप रहा, कुछ नहीं बोला। घटनास्थल पर लाईट की व्यवस्था नहीं होने एवं अन्धेरा भी हो जाने से आरोपी राजेश गोठवाल के वाहन आरजे 26 सीए 6072 मारूती सुजुकी को हमराह कानि0 जलसिंह के मार्फत साथ लेकर अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहि स्टाफ, स्वतंत्र गवाह, परिवादी एवं आरोपी श्री राजेश गोठवाल को हमराह लेकर रवाना होकर इस समय पुलिस थाना मालपुरा पहुंचा एवं अग्रिम कार्यवाही शुरू की। आरोपी श्री राजेश गोठवाल को यथास्थिति दोनों हाथों को पकड़वाये हुये थाने पर बैठाया गया। इसके पश्चात् गाडी से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर दो साफ कांच के गिलासों में वहीं से साफ पानी भरवाया जाकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन के दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त तैयारशुदा घोल के एक गिलास में श्री राजेश गोठवाल पटवारी के दाहिने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क आर–1, आर–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। कांच के दूसरे गिलास के घोल में आरोपी राजेश गोठवाल के बांये हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क एल–1, एल–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी गजानन्द के बताये अनुसार रिश्वत राशि उसके पहने हुये पेन्ट की बांयी जेब में है, अतः स्वतंत्र गवाह श्री सुभाष से रिश्वत राशि निकलवायी तो 500–500 रूपये के नोटों में लिपटे कुछ नोट निकले, जिन्हें गवाहों से गिनवाये गये तो 500–500 रूपये 60 नोट कुल 30,000 रूपये होना पाये गये। उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व की मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का हुबहु मिलान होना पाया गया। उक्त रिश्वती राशी के नोटों को एक कागज की चिट में सिल्ड कर मार्क–**एन** अंकित कर कागज पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। इसके पश्चात् श्री राजेश गोठवाल के पहनने हेतु एक पजामें की व्यवस्था कर उसके पहने हुये पेन्ट को ससम्मान उतरवाया जाकर पेन्ट का जेब जहां से रिश्वत राशि बरामद हुयी उसके धोवण हेतु एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन के दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहाा। उक्त तैयारशुदा घोल में पेन्ट की जेब को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क पी–1, पी–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। उक्त पेन्ट की जेब को सुखाकर पेन्ट बंरग क्रीम को एक सफेद कपड़े की थैली में सिल्ड चिट कर मार्क **पी** अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री राजेश गोठवाल को परिवादी की जमीन के कागजों के सम्बन्ध में पूछने पर राजेश गोठवाल ने अपनी गाड़ी (मारूति सेलेरियो) में होना बताया। आरोपी के बताये अनुसार स्वतंत्र गवाहान के साथ आरोपी की गाड़ी से परिवादी के काम से सम्बन्धित दस्तावेज लिये गये, दस्तावेजों के अवलोकन से पाया गया कि परिवादी श्री गजानन्द ने दिनांक 17.01.2022 को खसरा संख्या 194/9 रकबा 10 बीघा, वाके ग्प्रम रूपाहेली तह0 मालपुरा जिला टोंक में प्रार्थीगण के हिस्से में 5 बीघा 13 बिसवा जमीन की तरमीम हेतु आवेदन पेश किया

था, जिस पर तहसीलदार (भू0अ0) मालपुरा ने पत्रांक 191/भू0अ0/2022 दिनांक 17.01.22 से तरमीम हेतु पटवारी हल्का सिन्धौलिया से बिन्दूवार टिप्पणी चाही है, उक्त बिन्दूओं के सम्बन्ध में पटवारी ने दिनांक 18.01.22 को ही रिपोर्ट तैयार कर रखी है यानि दिनांक 17.01.2022 से उक्त प्रार्थना पत्र लम्बित चल रहा है, जिसके सम्बन्ध में श्री राजेश गोठवाल पटवारी द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जानी थी। उक्त सम्बन्धित दस्तावेज कार्यालय तहसीलदार मालपुरा का पत्रांक 191 दिनांक 17.01.22, पटवारी हल्का द्वारा तैयार रिपोर्ट एवं परिवादी गजानन्द द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मूल ही सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया। आरोपी श्री राजेश गोठवाल के पास ओप्पो मॉडल ए–54 है, जिसमें एक सिम एयरटेल की 8209670043 एवं एक सिम बीएसएनएल कम्पनी की 9460312364 है। उक्त मोबाईल से कार्यवाही के दौरान वार्ता हुयी है, अतः मोबाईल को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सिल्डचिट कर मार्क–**एम** अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय **समय 8.30 पी0एम0** आरोपी श्री राजेश गोठवाल पुत्र श्री कल्याणमल जाति बैरवा उम्र 44 साल निवासी टोरड़ी तहसील मालपुरा जिला टोंक हाल पटवारी, पटवार हल्का सिन्धौलिया तहसील मालपुरा जिला टोंक ने लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु परिवादी श्री गजानन्द गुर्जर की जमीन की तरमीम करने की एवज में आज दिनांक 14.02.2022 को दौराने मांग सत्यापन 30 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर दौराने ट्रेप कार्यवाही 30 हजार रूपये रिश्वती राशि ग्रहण कर अपने पहने हुये पेन्ट के बांये जेब में रखी, जहां से रिश्वती राशि बरामद हुई। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशो) 2018 जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया। उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष आरोपी को उसके उक्त जुर्म एवं संवैधानिक अधिकारों से आगाह कराते हुए हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया। समय 9.25 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराह एसीबी स्टाफ मय स्वतंत्र गवाह एवं आरोपी श्री राजेश गोठवाल मय समस्त आर्टिकल्स् के पुलिस थाना मालपुरा से एसीबी चौकी टोंक रवाना होकर समय 11.00 पीएम पर एसीबी चौकी टोंक पहुचा। **समय 11.15 पी0एम0 पर** सुरक्षित रखे गये रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ताओं को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन–सुन कर वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री जलसिंह कानि0 248 से टाईप करवाकर तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ता को 03 खाली सीडीयों में राईट कर दो सीडीयों को पृथक–पृथक सफेद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क **ए–1,ए–2** अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक सीडी को बिना सिल्ड कागज के लिफाफे में रखी गई। **दिनांक 15.02.2022 को समय 12.50 ए0एम0** पर रिश्वत लेन–देन वार्ता से सम्बंधित मूल मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर दिनांक 14.02.2022 को परिवादी व आरोपी के बीच रिश्वत लेन–देन के वक्त रूबरू/टेलिफोनिक वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन–सुन कर वार्ता की फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट श्री जलसिंह कानि0 248 से टाईप करवाकर तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ता को 3 खाली सीडीयों में राईट कर तीन सीडीयों को पृथक–पृथक सफेद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क बी–1,बी–2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक सीडी को बिना सिल्ड कागज के लिफाफे में रखी गई। **समय 02.15 ए0एम0 पर** रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित दोनों मूल मेमोरी कार्ड 8–8 जीबी को सुरक्षित हालात में एक सफैद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क **"एम–1"** अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। **समय 02.30 ए0एम0 पर** स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को दौराने कार्यवाही उपयोग में ली गई पीतल की सील का अवलोकन करवाया गया तथा फर्द पर नमूना सील अंकित की गई। उपयोग में ली गई पीतल की सील को कार्यालय एसीबी टोंक के बाहर पत्थर से तुडवाई जाकर नष्ट की गई जिसकी फर्द नाशानी सील मुर्तिब की गई एवं स्वतंत्र गवाह व परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित मालखाना जब्तशुदा व सिल्डशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा रिश्वत लेनदेन वार्ता की सीडीयां तैयार करने के सम्बध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। **समय 08.00 ए0एम0 पर** पाबन्दशुदा परिवादी श्री गजानन्द एवं स्वंतत्र गवाह सुभाष व

अजय उपस्थित आये। जिस पर **समय 08.15 ए0एम0 पर** मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान, एवं एसीबी स्टाफ के मय सरकारी वाहन मय चालक के घटनास्थल रवाना हुये। **समय 9.30 ए0एम0 पर** मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के रूपाहेली तहसील मालपुरा जिला टोंक (घटनास्थल) पहुंचकर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल मुर्तिब किया गया। बाद फारिग समय 9.50 एएम पर रवाना एसीबी चौकी टोंक हुआ। **समय 11.00 ए0एम0 पर** मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के बाद मुर्तिब फर्द नक्शा मौका उपस्थित एसीबी चौकी आया, परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान को आवश्यक समझाईस कर रूखसत किया गया।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही रिश्वत मांग सत्यापन, लेनदेन वार्ता फर्द ट्रान्सक्रिप्ट्स, रंनिंग नोट, फर्दात् से आरोपी श्री राजेश गोठवाल, पटवारी पटवार हल्का सिन्धौलिया तहसील मालपुरा जिला टोंक ने लोक सेवक होते हुये अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अनुचित लाभ प्राप्त करने हेतु अपने वैध पारिश्रमिक के भिन्न परितोषण/असम्यक लाभ प्राप्त करने के लिए परिवादी श्री गजानन्द गुर्जर से उनकी जमीन की तरमीम करने की एवज में दिनांक 14.02.22 को दौराने मांग सत्यापन 30 हजार रूपये रिश्वत राशी की मांग कर दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी राजेश गोठवाल, पटवारी ने परिवादी गजानन्द से 30 हजार रूपये रिश्वती राशि ग्रहण कर अपने पहने हुये पेन्ट की बांयी जेब में रखना पाया गया, जहां से रिश्वती राशि बरामद हुई। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशो) 2018 जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया। अतः आरोपी **श्री राजेश गोठवाल पुत्र श्री कल्याणमल जाति बैरवा उम्र 44 साल निवासी टोरड़ी तहसील मालपुरा जिला टोंक हाल पटवारी, पटवार हल्का सिन्धौलिया तहसील मालपुरा जिला टोंक** के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमाकंन सादर प्रेषित है।

(आहद खान)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ,टोंक

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आहद खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में आरोपी श्री राजेश गोठवाल, पटवारी, पटवार हल्का सिन्धौलिया तहसील मालपुरा जिला टोंक के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 45/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

15.2.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 426-30 दिनांक 15.2.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, टोंक।
4. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक।

15.2.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।